| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>अपील संख्या 114/2025<br>बउनवान रामाराम वगैरा बनाम हीराराम वगै. | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

**–:आदेश:–**

दिनांक 29.09.2025

उपस्थिति–

1. अपीलांटगण की तरफ से वकील श्री सुखदेव जाखड़
2. रेस्पोडेंट संख्या 01 की तरफ से वकील श्री नरपत सिंह।
3. शेष रेस्पों. बावजूद सूचना अनुपस्थित।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है। रेस्पों./प्रार्थी द्वारा अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर सहखातेदार/रेकार्डेड खातेदार को सुने बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जबकि विधि अनुसार सहखातेदारों को सुने बिना आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2025 को अपीलांट को सुने बिना ही एकतरफ़ा मौका रिपोर्ट तलब करते हुए पारित किया गया है उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने न्यायाधिकार से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधि संगत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना नोटिस तामील करवाये ही अपीलांट को अंधेरे में रखते हुए एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट संख्या 5 जो इस प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार था जिसको बिना पक्षकार संयोजित किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 705/434 व 831/433 में चल रहे रास्ते का उल्लेख किया है परंतु एक तरफा मौका रिपोर्ट में कहीं पर भी मौके पर रास्ता विद्यमान होने का उल्लेख नहीं किया गया है। वास्तविकता भी यही है कि उक्त खसरों में कोई रास्ता विद्यमान या चलायमान नहीं है। मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार की गई है। क्योंकि प्रार्थी की भूमि पटवार हल्का रावतसर में एवं विप्रार्थी/अपीलांट का खेत पटवार हल्का शिवकर में आता है। कटाण रास्ता प्रार्थी के खेत में पटवार हल्का कुडला से टच हो रहा है। जबकि मौका रिपोर्ट मात्र शिवकर पटवार हल्का से ली गयी है। मौके पर रावतसर पटवारी मौजूद भी नहीं था। वर्ष 2024 में प्रार्थी/रेस्पों. ने अपने भाई के वारिसों से अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

की पैतृक भूमि खसरा संख्या 225/3 का दुर्भावना से सहमति से विभाजन करवा कर वर्षों से स्वयं द्वारा अपने सरकारी मार्ग तक आने जाने के लिए उपयोग लिए जा रहे रास्ते की भूमि को विना रेकार्ड में छोड़े सहमति से विभाजन कर लिया अपने हिस्से के खेत खसरा संख्या 1063/2025(विभाजन के बाद) को सहमति से विभाजन में जानबूझकर सरकारी रास्ते से नहीं जोड़ा ताकि बाद में वह अपीलांट को क्षति पहुंचाने व तंग परेशान करने के आश्य से अपीलांट की खातेदारी में से नवीन रास्ते का आवेदन प्रस्तुत कर मार्गाधिकार जता सके। प्रार्थी/रेस्पों. द्वारा दुर्भावना वश अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। विप्रार्थीगण के द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में जबरदस्ती एवं ताकत के बल पर प्रार्थी/अपीलांट के कब्जा–काश्त की भूमि में दखलअंदाजी कर रहे हैं अगर रेस्पों. अपने उक्त मकसद में सफल रहे तो प्रार्थी के अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा एवं प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भविष्य में भरपाई की जानी संभव नहीं है। अपीलांट हस्तगंत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल पत्रावली में अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं संलग्न पेश दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील मेंटेनेबल ही नहीं है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अपना पक्ष रख सकता है। न्यायालय को तय यह करना है कि मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे या नहीं विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश केस डिसाइडेड की श्रेणी में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने हेतु अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो पूर्णतयाः विधि सम्मत है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस प्रकार के आदेश से प्रार्थी किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित है यह अपील में कहीं भी स्पष्ट नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। वाद की बाहुलता नहीं बढे, इसलिये केवल राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति का अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पों. द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए का विचाराधीन है। जिसके विचारण में रहते हुए हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखना हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत होता है। हस्तगत वादग्रस्त आराजी का हस्तातंरण व मौके की यथास्थिति बनाये

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रखने एवं वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने को ध्यान में रखते हुए खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। उभय पक्षकारान के हकों का निर्धारण प्रश्नगत मूल आवेदन के निस्तारण पर ही संभव है। उक्तानुसार यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की हस्तगत अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। उक्तानुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफ्तर हो।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर